समक्ष: माननीय एम. आर. अग्निहोत्री और आर. एस. मोंगिया, न्यायमूर्ति

पी. एन. शर्मा,-याचिकाकर्ता,

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा से पंजीकृत और अन्य ,-प्रतिवादी।

1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 16589

13 अक्टूबर, 1993

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226* और 227-उच्च न्यायालय *प्रतिष्ठान (नियुक्ति और सेवा की शर्तें)* नियम *1973-नियम 8* (एच) *(बी)-पदोन्नति-पूर्वव्यापी* रूप से *उप-पंजीयक*(रजिस्ट्रार) *के पद पर पदोन्नति* की *मांग करने वाले* याचिकाकर्ता-रिक्तियों *को भरने के लिए मामले की सिफारिश करते समय याचिकाकर्ता का नाम पंजीयक द्वारा विचार से हटा दिया गया-यह माना गया कि एक बार वैधानिक नियम ने उप- पंजीयक* (रजिस्ट्रार) *के पद को सहायक पंजीयकों में से चयन द्वारा भरने के लिए प्रदान किया है, जो स्नातक हैं और जिनके पास तीन साल* की *न्यूनतम अवधि के लिए इस तरह से काम करने का अनुभव है, यह पंजीयक का कर्तव्य है कि वे उन सभी सहायक पंजीयकों पर विचार करें जो आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं।*

यह काफी आश्चर्य की बात है कि भले ही याचिकाकर्ता का नाम सहायक पंजीयक के पांच नामों में से संयुक्त विनियमन 1 (नियम) द्वारा विधिवत शामिल किया गया था, लेकिन मामले को पंजीयक को भेजते समय, उन्हें उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए,

फिर भी तत्कालीन पंजीयक ने याचिकाकर्ता का नाम उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार की जाने वाली सहायक पंजीयक की सूची से हटा दिया।एक बार जब वैधानिक नियम में प्रावधान किया गया कि उप-पंजीयक का पद "सहायक पंजीयकों में से चयन द्वारा भरा जाना था जो स्नातक हैं और जिनके पास न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए इस रूप में काम करने का अनुभव है", तो यह पंजीयक का कर्तव्य था कि वे उन सभी सहायक पंजीयकों पर विचार करें जिन्होंने आवश्यक योग्यताओं को पूरा किया।

(अनुच्छेद **6)**

वी. रामस्वरूप, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता *की ओर से।*

प्रतिवादी *की ओर से* –

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गोयल अधिवक्ता के साथ,

अधिवक्ता विनोद शर्मा अधिवक्ता, एस. सी. कपूर वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष कपूर और नरेश कत्याल *अधिवक्ता* के साथ,

निर्णय

एम.*आर. अग्निहोत्री*, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता, श्री पी.एन. शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार ने उप रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के लिए उनके नाम पर पूर्वव्यापी विचार,7 जुलाई 1992 से प्रभावी, करने के लिए परमादेश की रिट जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के

तहत इस कंपनी के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है। शिकायत इस तथ्य पर आधारित है कि भले ही वह एकमात्र योग्य सहायक पंजीयक थे जिनके पास तीन साल का अनुभव था, फिर भी उच्च न्यायालय के पंजीयक द्वारा उप-पंजीयक की रिक्ति को भरने के लिए मामले की सिफारिश, माननीय मुख्य न्यायाधीश को, करते समय उनका नाम विचार से बाहर रखा गया था। उस आधार पर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए अन्य सहायक पंजीयकों के नाम आगे बढ़ाते समय तत्कालीन पंजीयक द्वारा उनके नाम का उल्लेख किया गया होता, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निश्चित रूप से उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया होता और इसलिए, उनकी उम्मीदवारी पर विचार न करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है।

(2) प्रस्ताव के नोटिस के जवाब में, उच्च न्यायालय की ओर से अतिरिक्त पंजीयक (प्रशासक), श्री एम. एम. कत्याल, सहायक पंजीयक प्रतिवादी संख्या 2, जिन्हें 7 जुलाई, 1992 के आदेश द्वारा अपने वेतन और श्रेणी में सहायक पंजीयक के रूप में अपने पद के अलावा उप-पंजीयक के रूप में काम करने का निर्देश दिया गया था, और श्री मलकित सिंह, सहायक पंजीयक, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं। यद्यपि तथ्यात्मक स्थिति व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, फिर भी याचिकाकर्ता को इस आधार पर गैर-उपयुक्त माना जाता है कि सहायक पंजीयक के रूप में काम करने के तीन साल के अनुभव में वह अवधि भी शामिल थी जिसके दौरान उन्हें उच्च न्यायालय में उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नत किया गया था, क्योंकि पदोन्नति कार्य भार के न्यायसंगत निर्धारण के बिना की गई थी।21 अप्रैल, 1993 को डी. बी. में रिट याचिका स्वीकार की गई थी।

(3) हमने पार्टियों को विस्तार से सुना है और अभिलेख देखा है। संक्षेप में, स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता 10 दिसंबर, 1960 को क्लर्क के रूप में शामिल हुआ और

8 मई, 1970 से सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया।उन्हें 6 जनवरी, 1986 से अधीक्षक ग्रेड II के रूप में और 1 जुलाई 1988 को अधीक्षक ग्रेड I के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 23 नवंबर, 1988 को सहायक पंजीयक के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था और उन्होंने 4 अक्टूबर, 1989 तक इस पद पर कार्य किया। उस तारीख को, उन्हें उप-पंजीयक के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था, लेकिन 18 नवंबर, 1989 को पद के उत्सादन पर उन्हें वापस कर दिया गया था। इसके बाद, सहायक पंजीयक की रिक्ति की उपलब्धता पर, उन्हें 7 जून, 1990 को फिर से सहायक पंजीयक के रूप में पदोन्नत किया गया और आज तक वे इस पद पर बने हुए हैं। इस प्रकार, सहायक पंजीयक/उप-पंजीयक के रूप में काम करने का उनका अनुभव तीन वर्ष से अधिक है।

(4) उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान (नियुक्ति और सेवा की शर्त) नियम, 1973 के नियम 8 (ii) (बी) में उप-पंजीयक के पद के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति और पात्रता की विधि निम्नानुसार प्रदान की गई हैः—

> "उप-पंजीयक के अन्य पद को सहायक पंजीयकों में से चयन द्वारा भरा जाएगा, जो स्नातक हैं और जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए इस रूप में काम करने का अनुभव है।"

चूंकि याचिकाकर्ता एक विधि स्नातक था और उसके पास कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सहायक पंजीयक के रूप में काम करने का अनुभव था, सेवा के

लगातार अच्छे रिकॉर्ड के साथ, वह उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य और योग्य था।

अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि 21 मई, 1992 को तत्कालीन संयुक्त पंजीयक (नियम) श्री बलबीर सिंह ने उप-पंजीयक के एक पद, सहायक पंजीयक के एक पद और अधीशक्ष के दो पदों पर पदोन्नति के संबंध में उच्च न्यायालय के पंजीयक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

उप-पंजीयक के पद को भरने के संबंध में, उनके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया थाः—

"उप-पंजीयक के पदों पर पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सहायक पंजीयकों पर विचार किया जा सकता हैः—

संख्या, नाम और योग्यता, सहायक पंजीयक के रूप में नियुक्ति की तिथि, टिप्पणी:

1. एस. एम. एम. कात्याल, (बी. ए.एल. एल. बी.) 16.01.1990
श्री. ए.एल.धाम, (एम. ए; बी. एल.) 27-1.0-1987(तदर्थ बैश के रूप में)1-5-1990 (नियमित आधार पर)
उन्हें 2019-20 में सहायक रजिस्ट्रार (पुस्तकालय) के रूप में पदोन्नत किया गया था। एफ। 27-10-1987 इस शर्त के अधीन कि उन्हें उन अधिकारियों से वरिष्ठ नहीं माना जाएगा, जो अन्यथा उनसे वरिष्ठ थे और उनकी ऐसी नियुक्ति के कारण आगे पदोन्नति के लिए उनके पास कोई अधिमान्य दावा नहीं होगा.

3. श्री. एम.डी.शर्मा (बी ० ए।)1-5-1990
उनकी पदोन्नति भी उपरोक्त राइडर के अधीन थी।

4. श्री. मल्कियत सिंह(बी.ए., एल.एल.बी.)

5. श्री. परमा नंद(बी.ए., एल.एल.,बी.)7-6-1990,

वे 24-12-1988 से 4-10-1989 तक सहायक रजिस्ट्रार के रूप में और 5-10-1989 से 18-11-1989 तक उप रजिस्ट्रार के रूप में पदोन्नत रहे, जब उन्हें अधीक्षक के पद पर वापस कर दिया गया।

“13. श्री परमा नंद शर्मा.

उन्हें 7 जून, 1990 को पदोन्नत किया गया था। इससे पहले, वह 24 नवंबर,

1988 से 4 अक्टूबर, 1989 तक सहायक रजिस्ट्रार के रूप में और 5 अक्टूबर, 1989 से 18 नवंबर तक उप रजिस्ट्रार के रूप में पदोन्नत रहे।1989, किस तारीख से, उन्हें शानदार ए 'टेंडेंट ग्रेड-I के रूप में वापस कर दिया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि पदोन्नति में कहा गया थाःयह कार्य-भार के न्यायसंगत निर्धारण के बिना किया गया है।इस प्रकार, उनका संयुक्त अनुभव श्री एम. एम. कत्याल और श्री मलकित सिंह से अधिक है, लेकिन वे उनसे कनिष्ठ हैं।1990 और 1991 के लिए उनके सी. आर. ए. (बहुत अच्छे) हैं।''

उस आधार पर, संयुक्त पंजीयक (नियम) द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि –

"19. निष्कर्ष निकालने के लिए –

(1) सहायक पंजीयकों में से एक, अर्थात् सर्वश्री एम. एम., कत्याल, ए. एल. धाम, एम. डी. शर्मा, मलकित को उप-पंजीयक के रूप में 1 मई, 1992 से श्री आर. एन. शर्मा की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्तता के विरुद्ध अनुभव खंड में आवश्यक सीमा तक छूट दी गई है।

एस. डी./- बलबीर सिंह।
संयुक्त पंजीयक (नियम),

21 मई, 1992"

(5) हालाँकि, यह काफी आश्चर्य की बात है। यद्यपि याचिकाकर्ता को संयुक्त पंजीयक (नियम) द्वारा सहायक पंजीयक के पाँच नामों में विधिवत शामिल किया गया था, जबकि मामले को पंजीयक को उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए अग्रेषित किया गया था, फिर भी तत्कालीन पंजीयक, श्री सुरिंदर सरूप ने याचिका दायर करने वाले का नाम, उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार की जाने वाली सहायक पंजीयक की सूची से आसानी से हटा दिया।एक बार जब वैधानिक नियम में प्रावधान किया गया कि उप-पंजीयक का पद "सहायक पंजीयकों में से चयन द्वारा भरा जाना था जो स्नातक हैं और जिन्हें न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए इस रूप में काम करने का अनुभव है", तो यह पंजीयक का कर्तव्य था कि वह उन सभी सहायक पंजीयकों पर विचार करे जो अपेक्षित योग्यताओं को पूरा करते हैं। संयोगवश, तत्कालीन संयुक्त पंजीयक (नियम) श्री बलबीर सिंह द्वारा मामले की जांच के अनुसार, याचिकाकर्ता एकमात्र सहायक पंजीयक थे जिनके पास सहायक पंजीयक के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव था। यदि पंजीयक ने अन्य सहायक पंजीयकों के साथ याचिकाकर्ता के नाम पर भी विचार किया होता, तो याचिकाकर्ता का यह मानना सही होता कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नति के लिए उनके नाम को मंजूरी देने की उचित संभावना थी, क्योंकि वह एक विधि स्नातक थे जिन्हें सहायक पंजीयक के रूप में तीन साल का अनुभव था और उनका प्रेषक 'ए'-(बहुत अच्छा) था।लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि **वैधानिक** नियम के बावजूद, पंजीयक ने याचिकाकर्ता के नाम को हटाना उचित समझा और माननीय मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश की कि "सबसे वरिष्ठ सहायक पंजीयक को 1 मई, 1992 से उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। यह विद्वान पंजीयक द्वारा मामले **का यह** गलत प्रक्षेपण था, जिसके *कारण* 6 जुलाई, 1992 को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः—

■"इन परिस्थितियों में, सहायक पंजीयक के मामले को उप-पंजीयक के रूप

> में पदोन्नति के लिए केवल संबंधित अधिकारी द्वारा आर. यू. आई. एल. में निर्धारित शर्तों, अर्थात् सहायक पंजीयक के संवर्ग में तीन साल के अनुभव को पूरा करने के बाद ही विचार के लिए लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि तीन सहायक पंजीयकों में से किसी ने भी उक्त योग्यताओं को पूरा नहीं किया है, इसलिए सबसे वरिष्ठ सहायक पंजीयक की नियुक्ति करने वाले उप-पंजीयक के संवर्ग में एक स्वतंत्र प्रभार व्यवस्था करना और तीन साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद पदोन्नति का मामला लेना ही एकमात्र पाठ्यक्रम है।''

पंजीयक के स्तर के मामले में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के नाम पर उप-पंजीयक के पद के लिए बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता था, भले ही यह नियम की वैधानिक आवश्यकता थी कि चयन सहायक पंजीकारों, यानी सभी सहायक पंजीकारों में से किया जाना था, यदि याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में पंजीयक के मन में कोई संदेह होता, तो याचिकाकर्ता की पात्रता को ध्यान में रखते हुए, अन्य सहायक पंजीकारों के साथ उनकी उम्मीदवारी पर विचार करना और रिकॉर्ड पर अपना दृष्टिकोण लाना उनकी ओर से उचित होता, जैसा कि पहले किया गया था। इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया होगा, और माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपने अन्य सहयोगियों के साथ याचिकाकर्ता के नाम पर भी विचार करने का अवसर दिया था। भले ही हम यह मान लें कि पंजीयक ने याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया क्योंकि उसके मन में सहायक पंजीयक या प्रतिनियुक्त पंजीयक के रूप में उसकी पदोन्नति के समय काम के बोझ के औचित्य के संबंध में कुछ संदेह हो सकता है, फिर भी तथ्य यह है कि दावेदार वास्तव में सहायक के पदों पर है।

पंजीयक और उप-पंजीयक और उनके खिलाफ काम करने वालों को विचार के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तर्क के लिए आगे मानते हुए, कि अन्य सहायक

पंजीयकों की तरह, याचिकाकर्ता ने भी अनुभव को पूरा नहीं किया, तब भी यह पंजीयक का कर्तव्य था कि वह अन्य सहायक पंजीयकों के बीच विचार के उद्देश्य से अपना नाम भी शामिल करे, क्योंकि वे भी याचिकाकर्ता की तरह अयोग्य थे। इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, मामले के प्रति गलत दृष्टिकोण, इसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया और तत्कालीन पंजीयक द्वारा गलत निष्कर्ष पर पहुंचना, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के बिल्कुल विपरीत थे, और इस तरह के जिम्मेदार वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया।

(6) परिणामस्वरूप, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को 6/7 जुलाई, 1992 से पूर्वव्यापी रूप से उप-पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए अन्य सहायक पंजीयकों के साथ याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करने के लिए मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं, यह वह तिथि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 7 जुलाई, 1992 (अनुलग्नक पी.1.) के कार्यालय आदेश के अनुसरण में पूर्व आदेश पारित किया था। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा ।